


2025/539

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
लालचन्द बनाम लेखराम आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 394 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
09.07.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p>	
16.7.2025	<p>बहुलाए फरिठेन उपस्थित करी व पुकीवडी स्या ला उने हाफिर डाहाल्ल आकर दापीनामा पेश किया जिसे काउ तकीबुद अफिल फरिल किया गया सजावली काहे स्तर जकार डाईन्दा राडीके 18.7.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p>	<p>ना/ल/प/ड म. सि. लेखराम  मुन्सलाना कोशराम</p>
18/7/2025	<p>बहुलाए फरिठेन उपस्थित। स्टे नकद माल हुआ। बहुलाए फरिठेन की बहस पुनी गई पत्रावली का आवलेकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध लिखाई व रजिगमा के आधार पर वाद खिची किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय दलगत है लिखाया नसर काफिल फरिल किया जावे। पत्रावली नम्बर से इस की जाकर हाफिल दलगत हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p>	<p>J. D. Meher Ramesh</p> 